

न्यायालय:-राजेन्द्र कुमार अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चन्देरी, जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-412/08  
संस्थापित दिनांक-11.08.2008  
Filling No-235103000852008

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र थाना चंदेरी,  
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

-----अभियोगी।

**बनाम**

- 1-चालीराजा पुत्र ओमकार सिंह यादव, उम्र-32 वर्ष।
- 2-ओमकार सिंह पुत्र गजराज सिंह यादव, उम्र-55 वर्ष।
- 3-लीलाबाई पत्नि ओमकार सिंह यादव, उम्र-50 वर्ष,  
निवासीगण ग्राम-शंकरपुर, थाना चंदेरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)।

-----अभियुक्तगण

**// निर्णय //**  
**(आज दिनांक 17.05.2018 को घोषित)**

**01-** अभियुक्तगण पर धारा 498ए, 494 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अभियोग है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 14.07.2008 के करीब ढेड वर्ष पूर्व से ग्राम शंकरपुर में आहत जसोदाबाई से उसका पति व पति के नातेदार होते हुये, दहेज के रूप में मोटर साईकिल व रूपये की मांग कर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता करने तथा अभियुक्त चालीराजा द्वारा अपनी पत्नि के जीवन काल में दिनांक 11.07.2008 को पुनः विवाह करने का अभियोग है।

**02-** प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी जसोदाबाई का विवाह अभियुक्त चालीराजा के साथ वर्ष 2003 में हुआ था। प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि आरोपी ओमकार के द्वारा फरियादी जसोदाबाई उसके पिता श्यामलाल व भाई सुजान सिंह के विरुद्ध धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता का परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

**03-** अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि फरियादी/आहत जसोदाबाई ने दिनांक 14.07.2008 को अपनी पुलिस रिपोर्ट में व्यक्त किया है कि आहत मेनवारा ग्राम की रहने वाली है तथा उसके पिता ने करीब चार वर्ष पहले उसकी शादी हिन्दू रीति रिवाज से ग्राम शंकरपुर के ओमकार के लडके चालीराजा के साथ की थी। शादी के कुछ दिन तक आहत की ससुराल वालों ने आहत को अच्छी तरह से रखा।

उसके बाद आहत की सास लीलाबाई, ससुर ओमकार सिंह तथा आहत का पति चालीराजा आहत से दहेज में मोटर साईकिल व रूपयों की मांग कर आहत को रोज प्रताड़ित करने लगे तथा प्रतिदिन उसकी मारपीट करने लगे। आहत का भाई सुजान सिंह उसकी ससुराल पहुंचने पर आरोपीगण ने उससे दहेज की मांग कर उसके साथ भी बुरा बर्ताव किया। दिनांक 11.07.2008 को आहत के पति ने दूसरी शादी करके आहत को घर से भगा दिया, जिसकी रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाने जाकर की गयी। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के बताये अनुसार उनके कथन लेख किए गए तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

**04—** अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498ए, 494 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग करने का अभिवाक् अंकित किया गया। प्रकरण में अभियुक्तगण का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अपने आप को निर्दोष होना एवं फरियादी प्रारंभ से ही कप्तान सिंह की पत्नी के रूप में रह रही है तथा मना करने पर झूठी रिपोर्ट करती है। आहत के पिता श्यामलाल व भाई सुजान ने आरोपी ओमकार से रुपये उधार लिये थे जो नही लौटाये जिससे अभियुक्तगण को मामले में झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया गया जिसका अभिवाक् अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने बचाव साक्षी के रूप में स्वयं अभियुक्त चालीराजा, डॉ.एम.एल.खरका व अभियुक्त ओमकार सिंह ने स्वयं को परीक्षित कराया।

**05—** प्रकरण के निराकरण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :-

- 01— क्या अभियुक्तगण दिनांक 14.07.2008 के करीब ढेड वर्ष पूर्व से ग्राम शंकरपुर में आहत जसोदाबाई से पति व पति के नातेदार के रूप में दहेज के रूप में मोटर साईकिल व रुपये की मांग कर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता का व्यवहार किया ?
- 02— क्या अभियुक्त चालीराजा द्वारा अपनी पत्नि के जीवन काल में दिनांक 11.07.2008 को पुनः विवाह किया ?

### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का सकारण निष्कर्ष:-**

**06—** प्रकरण की आहत जसोदबाई (अ.सा.-1) ने अपनी साक्ष्य में व्यक्त किया कि अभियुक्तगण उसे मारपीट कर परेशान करते और जान से मारने की धमकी देते थे जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-1 की थी। साक्षी ने दहेज के रूप में रुपये पैसे मांगने को लेकर मारपीट करने के संबंध में अपनी साक्ष्य में कोई कथन न करने से अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे गये जिसमें उसने अभियुक्त लीलाबाई, ओमकार व उसके पति चालीराजा के द्वारा आहत से दहेज के रूप में मोटर साईकिल और रुपये की मांग करना एवं मारपीट करना के संबंध में सुझाव दिया है, जिसे साक्षी ने स्वीकार किया है। साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है

कि उसके भाई सुजान से दहेज की मांग अभियुक्तगण द्वारा की गयी थी। किंतु साक्षी ने घटना का कोई निश्चित दिन व तारीख अपनी साक्ष्य में प्रकट नहीं की है और न ही यह प्रकट किया है कि अभियुक्तगण उससे दहेज के रूप में कितने रूपयों की मांग करते थे।

**07—** साक्षी जसोदाबाई (अ.सा.-1) ने अपनी प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में यह स्वीकार किया है कि उसकी बहन विरोबाई भी आरोपीगण के घर के पास ही रहती थी लेकिन उसने कभी आरोपीगण द्वारा मारपीट करने व दहेज के रूप में पैसे मांगने की बात उसे कभी नहीं बतायी। आहत ने उक्त प्रतिपरीक्षण में शंकरपुर निवासी कप्तान सिंह को पहचानना स्वीकार किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी चालीराजा ने दूसरी शादी कर ली जिससे उसने उसके विरुद्ध रिपोर्ट की है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-5 में यह स्वीकार किया है कि वह आरोपीगण के पास आठ वर्ष पूर्व से नहीं गयी है। साक्षी के कथन दिनांक 05.11.16 को न्यायालय में लिये गये हैं तथा उक्त दिनांक से आठ वर्ष पूर्व अर्थात् वर्ष 2008 से ही फरियादी आरोपीगण के घर नहीं रही है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-1 दिनांक 14.07.2008 में ही फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी है।

**08—** साक्षी अजबबाई (अ.सा.-3) ने अपनी साक्ष्य में व्यक्त किया कि उसकी लडकी जसोदा ससुराल में एक साल ही आयी गयी है तथा उसकी लडकी जसोदा ने उसे बताया कि आरोपीगण उसे परेशान व मारपीट करते हैं। इस साक्षी ने भी अपने मुख्य परीक्षण में आरोपीगण द्वारा दहेज के रूप में उससे तथा आहत जसोदाबाई से मोटर साईकिल व रूपये मांगने का कोई कथन नहीं किया है जिससे अभियोजन द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में उस संबंध में सुझाव दिया गया है जिसे साक्षी ने स्वीकार किया है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में यह स्वीकार किया है कि उसकी लडकी आहत जसोदाबाई, कप्तान सिंह के साथ उसकी पत्नी के रूप में ग्राम शंकरपुर में रह रही है। यह भी स्वीकार किया है कि आहत जसोदा शादी के बाद भी कप्तान सिंह के यहां आती जाती थी, तब आरोपीगण उसे मना करते थे। इस साक्षी से कभी आरोपीगण द्वारा दहेज के रूप में मोटर साईकिल व रूपये पैसे मांगे जाने का साक्ष्य में कोई कथन नहीं किया है बल्कि आहत जसोदाबाई के बताये अनुसार ही साक्षी को घटना की जानकारी है।

**09—** साक्षी सुजान (अ.सा.-4) ने आहत जसोदाबाई को अभियुक्त चालीराजा के घर पर शादी के बाद चार वर्ष तक अच्छे से रहना प्रकट किया है तथा उसके पश्चात आरोपी चालीराजा उसकी बहन से मारपीट करने लगे थे और उसकी बहन से दहेज के रूप में मोटर साईकिल व पचास हजार रूपये की मांग करना तथा न देने पर उसकी बहन को आरोपीगण द्वारा मारपीट कर परेशान करना व्यक्त किया है जिससे शादी के लगभग पांच साल उसकी बहन अपने मायके आ गयी थी। इस प्रकार साक्षी ने जसोदाबाई के आरोपीगण के घर पर शादी के पांच साल तक रहने का कथन किया है जबकि स्वयं आहत जसोदाबाई (अ.सा.-1) अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-4 में यह स्वीकार किया है कि आरोपी चालीराजा ने आठ वर्ष पूर्व दूसरी शादी कर लेने

के एक साल पहले से वह अपने मायके में रह रही थी। इस प्रकार स्वयं आहत के कथनों अनुसार वह वर्ष 2008 के पहले से अपने मायके में निवास कर रही थी।

**10—** साक्षी सुजान (अ.सा.-4) ने यह व्यक्त किया कि वह अपनी बहन की ससुराल गया था तब उसकी बहन जसोदा ने बताया कि आरोपीगण दहेज को लेकर उसे परेशान करते हैं। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया कि उसकी बहन के मायके आने के एक वर्ष पश्चात उसकी बहन ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-1 आरोपीगण के विरुद्ध दर्ज करायी थी। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का दिनांक रिपोर्ट लिखने के दिनांक 14.07.2008 से डेढ़ वर्ष पूर्व का लेख होना दर्शित है। साक्षी श्यामलाल (अ.सा.-5) ने अपनी मुख्य साक्ष्य में भी उसकी लडकी आहत जसोदा व उसकी सास के मध्य किस बात पर से झगडा हुआ था उसे जानकारी नहीं है। इस साक्षी ने भी आहत जसोदा की शादी के दो वर्ष बाद से ही आहत जसोदा का उसके घर अपने मायके में रहना व्यक्त किया है। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि आहत जसोदा की शादी चार्लीराजा के साथ वर्ष 2003 में हुयी थी और उसके दो वर्ष पश्चात अर्थात वर्ष 2005-06 में आहत अपने मायके में ही रह रही थी न कि अभियुक्तगण के साथ अपनी ससुराल में। किंतु घटना के समय आहत व उक्त साक्षियों के कथनों के अनुसार अपने मायके में निवासरत थी न कि अभियुक्तगण के साथ अपनी ससुराल में। इस प्रकार जब आहत अभियुक्तगण के साथ घटना के समय निवासरत ही नहीं थी, तब आरोपीगण द्वारा उसे दहेज के रूप में प्रताडित करना संभव नहीं है।

**11—** साक्षी सुजान (अ.सा.-4) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में यह स्वीकार किया कि उसे आरोपीगण द्वारा आहत से रुपये मांगने वाली बात उसकी बहन ने बतायी थी लेकिन यह नहीं बताया कि किसलिये आरोपीगण रुपये की मांग करते हैं। जबकि साक्षी श्यामलाल (अ.सा.-5) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-4 में यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण से दस हजार रुपये उधार लिये थे जो उसने आज तक वापिस नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपीगण ने दहेज के रूप में ही आहत से रुपयों की मांग की थी। साक्षी श्यामलाल (अ.सा.-5) अभियोजन के इस सुझाव को अस्वीकार किया अभियुक्तगण ने उसकी लडकी जसोदा से दहेज के रूप में पचास हजार रुपये व मोटर साईकिल की मांग की थी। साक्षी ने अपने पुलिस कथन प्रपी-6 को भी पुलिस को देने से इंकार किया है। उक्त साक्षी आहत का सगा पिता है जिसे घटना के संबंध में पूर्ण जानकारी न हो यह संभव नहीं है। जिससे उसके कथनों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है, किंतु उक्त साक्षी ने आहत का पिता होते हुये भी घटना अभियुक्तगण द्वारा आहत से दहेज के रूप में रुपये व मोटर साईकिल मांग करन के संबंध में अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है।

**12—** अभियुक्त चार्लीराजा (ब.सा.-1) व अभियुक्त ओमकार सिंह (ब.सा.-3) अपनी साक्ष्य में व्यक्त किया कि फरियादी अपनी शादी के दो तीन वर्ष के बाद से ही अन्य व्यक्ति कप्तान सिंह के साथ पत्नी के रूप में निवास करने लगी थी, जिससे जसोदा

का कप्तान सिंह के साथ रहने से एक पुत्र भी पैदा हुआ है। ग्राम शंकरपुर तहसील चंदेरी की मतदाता सूची में संख्यांक 323 पर निर्वाचक का नाम जसोदाबाई तथा पति का नाम कप्तान सिंह उसकी छायाप्रति के साथ प्रडी-1 दर्शित है एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी का जन्म पंजीयन रजिस्टर वर्ष 2011 की प्रविष्टि क्रमांक 929 प्रडी-3 पर जसोदा पत्नी कप्तान यादव ग्राम शंकरपुर की दिनांक 12.06.2011 को 9:20 ए.एम. पर पुत्र का जन्म होना वर्णित है जिसकी पुष्टि साक्षी डॉ. एम.एल. खरका (ब.सा.-2) ने अपनी साक्ष्य में की है जिसका अभियोजन की ओर से खंडन नहीं किया है। इस प्रकार उक्त बचाव साक्षियों के कथनों का समर्थन बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत ग्राम शंकरपुर तहसील चंदेरी के मतदाता सूची प्रडी-1 व जन्म पंजीयन रजिस्टर की प्रविष्टि प्रडी-3 से होता है।

**13—** प्रकरण में साक्षी आहत जसोदा (अ.सा.-1), साक्षी अजबबाई (अ.सा.-3) साक्षी सुजान सिंह (अ.सा.-4) एवं श्यामलाल (अ.सा.-5) के कथनों में फरियादी के अभियुक्तगण के साथ घटना के समय साथ रहने में आपस में विरोधाभाष है जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आहत घटना के समय अभियुक्तगण के साथ निवास कर रही थी जिससे अभियुक्तगण उससे दहेज के रूप में रुपये व मोटर साईकिल की मांग की गयी थी और न देने पर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। बल्कि उक्त साक्षी अजबबाई (अ.सा.-3) एवं श्यामलाल (अ.सा.-5) की स्वीकारोक्ति अनुसार ही आहत जसोदा का कप्तान सिंह के साथ संबंध है जिससे वह शादी के एक दो साल बाद से ही उसके साथ रहने लगी थी जिसका समर्थन बचाव साक्षी चालीराजाराजा (ब.सा.-1) एवं ओमकार सिंह (ब.सा.-3) के कथनों व प्रस्तुत मतदाता सूची प्रडी-1 एवं जन्म पंजीयन रजिस्टर प्रडी-3 से होता है। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि आहत जसोदाबाई स्वेच्छया से ही अभियुक्तगण का घर अपनी ससुराल त्याग कर कप्तान सिंह के साथ पत्नी के रूप में निवास कर रही थी।

**14—** प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि आहत जसोदा व चालीराजा का वर्ष 2003 में विवाह हुआ था। आहत जसोदा (अ.सा.-1) ने अपनी साक्ष्य में प्रकट किया है कि आरोपीगण ने शादी के एक दो साल बाद से ही दहेज के लिये मारपीट करना प्रारंभ कर दिया था, किंतु आहत ने घटना की रिपोर्ट प्रपी-1 वर्ष 2008 में लेख करायी है और उसे प्रताड़ित करने का रिपोर्ट दिनांक से ढेड वर्ष पहले से घटना का समय बताया है। इस प्रकार साक्षी के न्यायालीन कथन व पुलिस रिपोर्ट प्रपी-1 एवं अपने न्यायालीन कथनों में घटना के समय को लेकर विरोधाभाष है।

**15—** जब फरियादी जसोदाबाई को शादी के 2-3 साल बाद से ही आरोपीगण द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा तब उसके द्वारा उसी समय प्रताड़ित करने के संबंध में रिपोर्ट क्यों नहीं की, इसका कोई स्पष्ट कारण अभियोजन की ओर से प्रकट नहीं किया गया है। घटना दिनांक के पूर्व भी उक्त ढेड वर्ष की अवधि में आहत द्वारा कोई रिपोर्ट अभियुक्तगण के विरुद्ध थाने में की हो ऐसा भी प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से दर्शित नहीं होता, जबकि अभियुक्तगण की ओर से आहत का अन्य व्यक्ति कप्तान सिंह के साथ शादी के बाद से ही उसकी पत्नी के रूप में रहने के संबंध में कथन

किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आहत ने कप्तान सिंह साथ रहने के कारण उक्त अवधि में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं की। इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से न्याय दृष्टांत **श्रीजीवन सिंह व अन्य विरुद्ध म.प्र.राज्य और अन्य 2016 (1) एमपी वीकली नोट-52** एवं न्याय दृष्टांत **सबरा खांन और अन्य विरुद्ध म.प्र.राज्य और अन्य 2016 (1) एमपी वीकली नोट-70** प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया है कि आवेदक पत्नी व अभियुक्त पति अलग अलग रहते थे और अभियुक्त के विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं किये थे जिससे अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया था। उक्त न्याय दृष्टांत व प्रकरण के तथ्य लगभग समान होने से उक्त न्याय दृष्टांतों का लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त है। अतः उपरोक्त विवेचना से अभियोजन विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 को प्रमाणित करने में असफल रहा है।

### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का सकारण निष्कर्ष:-**

**16-** प्रकरण के साक्षी जसोदा (अ.सा.-1), अजबबाई (अ.सा.-3), सुजान सिंह (अ.सा.-4) एवं श्यामलाल (अ.सा.-5) ने अभियुक्त चालीराजा ने आहत पहली पत्नी के रहते हुये दूसरा विवाह करना प्रकट किया है, किंतु उक्त साक्षियों ने यह प्रकट नहीं किया कि अभियुक्त ने किस महिला से किस गांव में व किस रिति से दूसरा विवाह किया है और न ही अभियुक्त द्वारा दूसरी शादी करने के संबंध में कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत किये गये हैं। बचाव पक्ष द्वारा साक्षी अजबबाई (अ.सा.-3) को प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव दिया था कि अभियुक्त चालीराजा ने दूसरा विवाह कर लिया है जिससे आहत अपने मायके रहने लगी। साक्षी जसोदा (अ.सा.-1) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त चालीराजा द्वारा दूसरी शादी करने से उसने अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट की है। इस प्रकार बचाव पक्ष द्वारा भी अभियुक्त चालीराजा की दूसरी शादी करने का सुझाव दिया गया है, जिसकी अभियोजन साक्ष्य के द्वारा दूसरी पत्नी का नाम व पता प्रकट न कर पुष्टि नहीं की गयी है। जिससे बचाव पक्ष के उक्त सुझाव को निश्चायक प्रकृति का प्रमाण नहीं माना जा सकता। जबकि प्रमाण करने भार अभियोजन का था, जिसे अभियोजन द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि अभियुक्त चालीराजा ने अपनी पत्नी जसोदाबाई के जीवन काल में प्रथम विवाह अस्तित्व में रहते हुये दूसरा विवाह कर लिया है। अतः अभियोजन विचारणीय प्रश्न क्रं. 2 को प्रमाणित करने में असफल रहा है।

**17-** उपरोक्त विवेचना से अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। जिससे अभियुक्त चालीराजा, ओमकार सिंह एवं लीलाबाई यादव निवासीगण ग्राम-शंकरपुर, थाना चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए एवं 494 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

**18-** अभियुक्तगण के धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत बंधपत्र को छोड़कर जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

**19—** अभियुक्तगण का धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता का अभियुक्त अभिरक्षा अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर  
हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

राजेन्द्र कुमार अहिरवार  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

राजेन्द्र कुमार अहिरवार  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)